(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– **सुमन देवी II**, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 209 / 2024 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2024 / 401

1. राजेश पुत्र भूर सिंह
2. कमलेश पुत्री भूर सिंह
3. राकेश पुत्र भूर सिंह
4. राजबाला पुत्री भूर सिंह
5. सुनीता पुत्री भूर सिंह
6. सरोज पुत्री भूर सिंह
7. गिन्दो पत्नि भूर सिंह
8. दुर्गी पुत्री भुदर
9. बनवारी पुत्र भुदर
10. बस्तीराम पुत्र भुदर समस्त जाति अहीर निवासीगण पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

......................आवेदकगण

बनाम

1. बिजेन्द्र पुत्र रणवीर जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना झुंझुनू राज०
2. राजेश पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना झुंझुनू राज०
3. रामकिशन पुत्र बहादुर जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
4. गोपाल पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी पचेरी कला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
5. सिलोचना पत्नि मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
6. अमीलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति जोगी निवासी पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
7. उम्मेद पुत्र ग्यारसीलाल जाति जोगी निवासी पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

8. परमेश्वरी पुत्री ग्यारसीलाल जाति जोगी निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
9. मनोज पुत्र ग्यारसीलाल जाति जोगी निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
10. रेखा पुत्री ग्यारसीलाल जाति जोगी निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
11. सन्तोष पुत्री ग्यारसीलाल जाति जोगी निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
12. सरोज पुत्री ग्यारसीलाल जाति जोगी निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
13. रामचन्द्र पुत्र नत्थु जाति खाती निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
14. विकम जांगीड़ पुत्र सुभाष चन्द्र जाति खाती निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०
15. सरिता यादवपत्नि उम्मेद सिंह जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिलाझुंझुनू राज०
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज०

..................अनावेदकगण

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता

अप्रार्थीगण संख्या 1, 14, 15 की ओर से – श्री अनुप सिंह अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 2/7/25

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज० में स्थित भूमि ख० न0 1382 रकबा 0.31 है0 आवेदकगण की [illegible] भूमि [illegible] जिसमें आने जाने हेतु जुताई, बुआई हेतु ट्रैक्टर ले जाने हेतु तथा [illegible] पश्चात उसे घर अथवा मण्डी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

में ले जाने हेतु रास्ता नहीं है आवेदकगण को अपने उक्त खेत ख० न० 1382 रकबा 0.31 है0 के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है।

2. यह कि आवेदकगण के खेत के पश्चिम में सिंघाना–नारनौल सड़क स्थित है जिसमे सटकर ख० न0 1377 रकबा 0.30 है० ख० न० 1378 रकबा 0.83 है0 ख०न० 3033 / 1381 रकबा 0.2575 है0 ख० न0 2926 / 1381 रकबा 0.1125है0 खातेदारी भूमि लगती है जो अनावेदकगण स० 1 ल० 15 की भूमि है।

3. यह कि आवेदकगण की कृषि भूमि ख० न0 1382 रकबा 0.31है0 में आने जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता सिंघाना नारनौल स्थित सड़क से ख० न० 1377 रकबा 0.30है० ख० न० 1378 रकबा 0.83है० से होकर ख० न० 3033 / 1381 रकबा 0.2575है0 ख० न0 2926 / 1381 रकबा 0.1125है0 की दक्षिण मेड के सहारे दिलवाया जाना न्यायोचित है इससे नजदीक अन्य कोई रास्ता नहीं है।

4. यह कि आवेदकगण न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है।

5. यह कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि ग्राम पचेरी कलां में स्थित है जो न्यायालय के सीमाधिकार में स्थित है इसलिए उक्त आवेदन पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

6. यह कि आवेदन पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

7. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण /प्रार्थीगण को खेत ख० न0 1382 रकबा 0.31 है0 में आने जाने के लिए ख० न० 1377 रकबा 0. 30है० ख० न0 1378 रकबा 0.83है0 ख० न० 3033 / 1381 रकबा 0.2575 है0 ख० न० 2926 / 1381 रकबा 0.1125 है0 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे।

(1) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1, 14, 15 की और से श्री अनुप सिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा / जवाब पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1, 14 व 15 की और से [illegible] पत्र निम्न प्रकार पेश है –

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 1 स्वीकार [illegible]
2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 2 स्वीकार है

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 3 स्वीकार है।
4. यह कि आवदेन पत्र का खण्ड संख्या 4 स्वीकार है।
5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 5 कानूनी है जिसके उत्तर की आवश्यकता नही है।
6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 6 कोर्ट फीस सम्बन्धी है जिसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड संख्या 7 कानूनी है जिसके उत्तर की आवश्यकता नही है।

अतः जवाब आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को निर्धारित मुआवजा राशि दिलाई जाकर आवेदन पत्र में वर्णित रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण इसके लिए सहमत है।

(2) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 168 दिनांक 02.04.2025 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1747 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) खसरा नम्बर 1377 में 5 वर्ग मीटर के पश्चात खसरा नम्बर 1378 में खसरा नम्बर 1374 की उत्तरी मेंड के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ाई व 39 मीटर लम्बाई में चलकर उत्तरी तरफ 6 मीटर चौड़ाई व 22 मीटर लम्बाई में चलकर पूर्व की तरफ 6 मीटर चौड़ाई व 8 मीटर लम्बाई में जाने पर खसरा नम्बर 3033 / 1381 की पश्चिमी मेड से शुरू होकर दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे 5 मीटर चौड़ाई व 39 मीटर लम्बाई तत्पश्चात ख0 न0 2926 / 1381 में दक्षिण भुजा के सहारे 20 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रस्तावित है।

(2) मौके का नजरी नक्शा पृष्ठ संख्या 1 पर तेयार किया गया है उसके अनुसार उपरोक्त अनुसार उपरोक्त रास्ता प्रस्तावित है।
जिसका खसरा नम्बर वार रकबा निम्नानुसार है। खसरा नम्बर 1377 रकबा 0.03 हैक्टर में 5 वर्ग मीटर, ख0 न0 1378 रकबा 0.78 हैक्टर में 375 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 3033 / 1381 रकबा 0.2575 हैक्टर में 195 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 2926 / 1381 रकबा 0.1125 में 100 वर्ग मीटर कुल योग 675 वर्ग मीटर बनता है।

(3) उपरोक्तानुसार प्रस्तावित रास्ता वर्तमान परिस्थितियों में सबसे छोटा व सुगम है ख0 न0 2926 / 1381 में पूर्वी व पश्चिमी मेड पर पक्की 6 फीट उची दीवार बनी है जिसे अप्रार्थी विजेन्द्र पुत्र रामकिशोर निवासी पचेरी खुर्द ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

[illegible]

स्वेच्छा से हटाने की सहमति दी है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे [illegible] लघुतम है।

(4) प्रस्तावित रास्ते के लिए प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल [illegible] = 675 वर्ग मीटर है। जो अनावेदक के भूमि खसरा नं [illegible] 29/1381 के रकबा में से कम होगा। प्रभावित क्षेत्रफल के [illegible] कार्य TRA शाखा से संबंधित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का [illegible] अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर जवाब पेश की उसका जवाब पत्रावली में पेश किया जा चुका है निवेदन है वकील प्रार्थीगण द्वारा रिपोर्ट अनुसार रास्ता हेतु निवेदन किया गया। वकिल अप्रार्थी उपस्थित वकील अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब किया गया यथा: अप्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं करना, रास्ता प्रचलित है या नहीं, अन्य वैकल्पिक रास्ता है या नहीं के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया है तहसीलदार की रिपोर्ट पेश है। जिसमें नोटिस संलग्न है। वैकल्पिक रास्तों का स्पष्ट अभाव बताया है तथा रास्ता प्रचलित है। 251A रास्ते का प्रकरण [illegible] Panding पर है अत: जवाब/रिपोर्ट रास्ता दिया जाता है।

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अत: न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, जवाब के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थीगण की जोत में खसरा नं [illegible] के खसरा नं 1377, 1378, 1382 रकबा 0.31 हैक्टर में जाने [illegible] 3033/1381, 2926/[illegible] 15 फुट चौड़ाई का रास्ता दिया जाता है। प्रार्थीगण [illegible] का दुगुना भुगतान [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)